





| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रमाण पाकडर कि मकतू दिनांक | FORM NO. III फेद अहकाम (नियम 26) | छुट्टि मकतू |
| हालत | उपखण्ड अधिकारी | मुकाम सुरजगढ़ |
| कर्मचारी वर्ग | बनाव | हरदास वर्मा |
| मुकदमा | डाका 33, 88, 188 | न 153 सन 2019 |
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए। |
| 1-19 | आज 24-11-19 को डाका 33, 88, 188 के अन्तर्गत मुकदमा नं. 153 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा जारी किया गया हुकम के अन्तर्गत निलंबित कर्मचारी हरदास वर्मा को 11-11-19 को फेर छोड़ा गया है।  उपखण्ड अधिकारी, सुरजगढ़ | 6476-82 7-10-19 |
| 11-11-19 | आज उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा जारी किया गया हुकम के अन्तर्गत निलंबित कर्मचारी हरदास वर्मा को 11-11-19 को फेर छोड़ा गया है।  | |
| 29-11-19 | निलंबित कर्मचारी हरदास वर्मा को 29-11-19 को फेर छोड़ा गया है।  उपखण्ड अधिकारी, सुरजगढ़ | प्रतिकार/काम  AOT |

तारीख
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
की तारीख में जारी

5-10-23

आज यह पतावली पेश हुई आवाज मजबूत
गई। बार-बार आवाज मजबूत गई। आवाज
पर वाड़ी हाजीर नहीं आया नहीं उलनी
और से कोई अधिकता हाजीर आया अतः
वाड़-वाड़ी अदम हाजीरी अदम पैरवी में
शकरीज किया जाता है पतावली फैसल
शुमार होकर ठक्कर से कम है वाड़ तकरीक
जावता अधिकतर प्रकार है

उपखण्ड अधिकारी सुरजमल